श्री विजय किरन आनन्द, जिलाधिकारी, उन्नाव की अध्यक्षता में दि0 05.04..2014 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव के पन्नालाल सभागार में सम्पन्न हुई माह मार्च, 2014 की राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

1. श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा0), उन्नाव।
2. श्री आनन्द स्वरूप, नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
3. श्री उमेश गिरी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उन्नाव।
4. श्री मंसूर अहमद, तहसीलदार, सदर उन्नाव।
5. श्री ए0के0 गुप्ता, तहसीलदार, सफीपुर।
6. श्री सुरेश राय, तहसीलदार, बीघापुर।
7. श्री प्रमोद झॉ, तहसीलदार, हसनगंज।
8. श्री राजेश कुमार, तहसीलदार, पुरवा।
9. श्री सुशील कुमार सचान, मुख्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी, उन्नाव।
10. श्री इन्द्रजीत रावत, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट उन्नाव।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये-

राजस्व वाद-

जनपद में वित्तीय वर्ष मे 39119 वादो के सापेक्ष कुल 31244 वादो का निस्तारण किया गया है। वर्ष के अन्त मे 7875 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं जिनमें 1446 वाद एक वर्ष से अधिक पुराने हैं। मानक के अनुसार उपजिलाधिकारी, बीघापुर 84 प्रतिशत, तहसीलदार पुरवा 40 प्रतिशत, तहसीलदार सफीपुर 80 प्रतिशत, तहसीलदार बीघापुर 67 प्रतिशत, नायब तहसीलदार बीघापुर 41 प्रतिशत, नायब तहसीलदार आसीवन 68 प्रतिशत, नायब तहसीलदार सफीपुर 16 प्रतिशत, नायब तहसीलदार मोहान 89 प्रतिशत, नायब तहसीलदार औरास 85 प्रतिशत, नायब तहसीलदार फतेहपुर-चौरासी 15 प्रतिशत, नायब तहसीलदार बांगरमऊ 15 प्रतिशत, नायब तहसीलदार गंजमुरादाबाद 13 प्रतिशत निस्तारण है। इसी प्रकार दायरा के सापेक्ष उपजिलाधिकारी उन्नाव 68, पुरवा 74, सफीपुर 85, बीघापुर 84, तहसीलदार पुरवा 77, तहसीलदार बीघापुर 88, नायब तहसीलदार मोहान 86, नायब तहसीलदार औरास 82, नायब तहसीलदार फतेहपुर-चौरासी 82, नायब तहसीलदार बांगरमऊ 87, नायब तहसीलदार गंजमुरादाबाद 76 प्रतिशत निस्तारण किया गया है, जो आपत्तिजनक है। दायरा के सापेक्ष शत प्रतिशत निस्तारण से कम निस्तारण करने वाले पीठासीन अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दायरा के सापेक्ष निस्तारण शत प्रतिशत किया जाये। पोर्टल पर तिथियां अद्यावधिक नहीं की जा रही है। सभी पीठासीन अधिकारी आदेश व तिथियां पोर्टल पर अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करे।

स्टाम्प वाद

स्टाम्प वादों मे लम्बित 86 वादो के सापेक्ष मात्र 06 वादो का निस्तारण किया गया है। सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा कोई निस्तारण नही किया गया है, जबकि इनके न्यायालय मे 45 वाद लम्बित है। लम्बित समस्त वादों मे सुनवाई कर निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

198-क(2) के अन्तर्गत कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही

इस मद में माह में मात्र 01 वाद का निस्तारण किया गया है। लम्बित 68 वादो का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये। 31 मार्च 2014 के बाद 02 माह से अधिक के वाद लम्बित नही रहने चाहिऐ।

122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही

इस अधिनियम के अन्तर्गत माह मे 246 वादो का निस्तारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत 17.6330 हे0 भूमि आच्छादित है। निस्तारण कम है, दायरा भी कम है, मुकदमे भी दर्ज नही हो रहे है, दायरा व निस्तारण बढाया जाये। तहसीलदार, बीघापुर द्वारा 115 सी के अन्तर्गत हर्जाना वसूली शून्य है। जनपद मे कुल हर्जाना वसूली 909549/- के विरूद्ध 193959/- की वसूली हुयी है। सभी उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को पूर्व मे पत्र प्रेषित किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी है। सभी उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देशित किया जाता है कि प्रवर्तन कार्य प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराये।

33 ए के अन्तर्गत अविवादित वरासत

इस अधिनियम के अन्तर्गत 14787 मामले दर्ज होने योग्य पाये गये जिनमें समस्त 14787 वरासत दर्ज कर 14787 खतौनी वितरित की गयी है।

आवंटन–

कृषि भूमि आवंटन, आवास स्थल आवंटन, कुम्हारी कला आवंटन, वृक्षारोपण आवंटन में सभी के द्वारा लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। मत्स्य पालन में सफीपुर को छोडकर सभी द्वारा लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।

चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि से हटाये गये अतिकमण–

चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर पाये गये 1144 क्षेत्रफल 83.703 हे0 के सापेक्ष 1144 क्षेत्रफल 83.703 हे0 का अतिकमण हटाया गया है।

वसूली–

मुख्य देय की वसूली के अन्तर्गत भू–राजस्व में सभी के द्वारा शत प्रतिशत वसूली की गयी है। सिचांई देय में तहसील हसनगंज में 19.14 लाख की बकाया पडी हुयी है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार/उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि समीक्षा व प्रयास कर इस बकाया को शून्य किया जाये।

विविध देय में तहसील उन्नाव में 98, पुरवा में 99, बीघापुर 99, सफीपुर 98, हसनगंज 99 प्रतिशत की वसूली की गयी हैं। गत बैठक मे निर्देश दिये गये थे कि बैंक देय के अलावा अन्य सभी विविध देयों की बकाया वसूली कराकर बकाया शून्य किया जाये। लेकिन अब भी तहसील पुरवा व हसनगंज मे व्यापार कर, बीघापुर, सफीपुर व हसनगंज मे परिवहन देय व उन्नाव, पुरवा, हसनगंज मे अन्य देय, उन्नाव, हसनगंज मे अन्य निगम, 115 डी मे उन्नाव, सफीपुर, हसनगंज, स्टाम्प देय मे उन्नाव, सफीपुर, हसनगंज, श्रम देय में हसनगंज में थोडी–थोडी बकाया पड़ी हुयी है। इस बकाया को वसूल कराकर शून्य किया जाये। बैंक देय मे वास्तविक मांग व वसूली प्रमाण पत्र प्रदर्शित किये जाये। प्रत्येक तहसील मे सबसे न्यूनतम वसूली करने वाले दो–दो संग्रह अमीनों का नाम प्रेषित किया जाये। मुख्य राजस्व आंकिक सभी नाम एकत्र कर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर इनके विरुद्ध कार्यवाही कराये।

विविध देय के दस सबसे बडे बाकीदारों का विवरण–

विविध देय के बडे बाकीदारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नही की जा रही है। सभी उपजिलाधिकारी समीक्षा कर बड़े बाकीदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुये वास्तविक एवं सही सूचना उपलब्ध करायें।

मा0 मुख्यमन्त्री सन्दर्भ/लोकवाणी/जनशिकायत/लम्बित सन्दर्भ/तहसील दिवस–

मा0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ, लोकवाणी, जनता दर्शन व तहसील दिवस के सन्दर्भ किसी भी स्थिति में लम्बित नही रहना चाहिए, अवशेष शून्य होना चाहिए। तहसील दिवस के कुल 65 प्रकरण माह के अन्त मे लम्बित है, जिनमे 17 प्रकरण एक माह से अधिक पुराने है। यह स्थिति आपत्तिजनक है। तहसील दिवस का कोई भी प्रकरण निर्धारित समयावधि के पश्चात लम्बित नही रहना चाहिये। जिन विभागो/अधिकारियों की शिकायते लम्बित है उन्हे अलग से मेरी ओर से पत्र प्रेषित किया जाये। तहसील उन्नाव मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उन्नाव द्वारा वापस किये गये प्रकरण की पत्रावली बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत की जाये।

रिट याचिकाये–

तहसील उन्नाव में 03 संग्रह अनुभाग, पुरवा में 02 संग्रह अनुभाग, सफीपुर में 01 ग्रामसभा, हसनगंज में 05 संग्रह अनुभाग व 02 ग्रामसभा से सम्बन्धित कुल 13 रिट याचिकाओ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। इन सभी रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर अवगत कराया जाये।

आडिट आपत्तियॉ–

गत बैठक मे दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने व वेतन निर्धारण से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही नही की गयी है। एक सप्ताह के अन्तर्गत समस्त प्रकरण निस्तारित कर लिये जाये, जो आपत्तियॉ गलत लगायी गयी है, उनमे परीक्षण कराकर जवाब बनाकर प्रेषित किया जाये।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन–

खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत माह मे 161 निरीक्षण, 15 छापे, 17 नमूना संग्रहण किये गये है, जिनमे 07 वाद योजित किये गये है तथा 10,000/– अर्थदण्ड की वसूली हुयी है। गर्मी का मौसम है, प्रवर्तन कार्य प्रभावी ढंग से किया जाये तथा प्रवर्तन कार्य की प्रगति से अवगत भी कराया जाये।

विभागीय कार्यवाही–

भूलेख अधिष्ठान के अन्तर्गत तहसील पुरवा में श्री रामप्यारे, लेखपाल, तहसील सफीपुर में श्री रामआसरे, लेखपाल, तहसील बीघापुर मे श्री रमेशचन्द्र लेखपाल व श्री वेदप्रकाश लेखपाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित है। संग्रह अधिष्ठान के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार, संग्रह अमीन तहसील हसगनंज की विभागीय कार्यवाही लम्बित है। सभी विभागीय कार्यवाही निस्तारित कर विवरण शून्य किया जाये।

पत्रावलियों का दाखिला–

जनपद में निर्णीत पत्रावलियों मे 14,156 पत्रावलियां दाखिला हेतु अवशेष है। माह मे मात्र 2,177 पत्रावलियां दाखिल की गयी है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अभिलेखागार सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों को व सम्बन्धित पेशकार/रजिस्ट्रार कानूनगो को चेतावनी जारी करते हुये 15 दिन के अन्दर पत्रावलियां दाखिल करने हेतु निर्देशित करे उसके पश्चात पत्रावलियों का दाखिला न करने वाले पेशकार/रजिस्ट्रार कानूनगो का वेतन रोका जाये। इसी प्रकार फौजदारी, अहलमदों को भी चेतावनी जारी करते हुये निर्णीत समस्त पत्रावलियां दाखिल न करने पर वेतन रोकने की कार्यवाही की जाये।

पुनर्ग्रहण से सम्बन्धित लम्बित प्रकरण–

विकास खण्ड हिलौली तहसील पुरवा मे माडल स्कूल/छात्रावास की स्थापना, विकास खण्ड मियागंज तहसील हसनगंज मे आई0टी0आई0 व टोल प्लाजा की स्थापना हेतु तथा उन्नाव मे आई0बी0 कार्यालय व उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रकरण लम्बित है, जिनमे आवश्यकतानुसार भूमि का चयन कर प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किया जाये।

सामान्य–

लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014, आदर्श चुनाव आचार संहिता व राजस्व वादों के निस्तारण में विशेष रूचि लेकर कार्य को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जाये। क्षेत्र का नियमित भ्रमण करते रहे तथा अधिक से अधिक फील्ड मे रहे। उपजिलाधिकारी सभी कार्यो में नेतृत्व लेते हुये कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। सभी तहसीलदार मुख्यालय पर निश्चित रूप से निवास करेंगे तथा बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नही छोडेंगे। सभी अधिकारी मोबाइल चालू रखेंगे। किसी भी स्थिति मे मोबाइल स्विच आफ नही रहना चाहिये।

अन्त में बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी, उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्या– 202 /आ0लि0/समीक्षा बैठक कार्यवृत्त   दिनांक 12 अप्रैल, 2014

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अनुभाग से सम्बन्धित निर्देशो का अनुपालन कराकर अनुपालन से 07 दिन के अन्दर अवगत कराये।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव।
2. नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
3. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद उन्नाव।
4. उप संचालक, चकबन्दी, उन्नाव।
5. प्रभारी अधिकारी(सं0का0), कलेक्ट्रेट उन्नाव।
6. प्रभारी अधिकारी, लोकवाणी/शिकायत/नजारत/राजस्व अभिलेखागार/रिट, उन्नाव।
7. ए0आर0ओ0/एस0एल0ए0ओ0/एस0ओ0सी0, उन्नाव।
8. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी/औषधि निरीक्षक उन्नाव।
9. सहायक सूचना निदेशक, उन्नाव।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जिलाधिकारी, उन्नाव।